17-10-24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित
प्रकरण मे पुर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई
प्राप्त रिपोर्ट पर वकील वादी ने अपनी बहस मे रिपोर्ट
प्राथमिक डिक्री होना बताया है। अत: प्राप्त फर्द बटवारा
रिपोर्ट स्वीकार कि जाती है। दावा आन्तिम डिक्री किया
जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा सं0 : 43/20

1:— मूलसिंह पिता श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूँ

.... वादी

— बनाम —

1:— जोधसिंह पिता श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/1 :— शंकरसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/2 :— घनश्याम पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/3 :— विजयसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/4 :— श्रीमती रतनकंवर पुत्री जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 पत्नी ज्वालासिंह राजपूत निवासी मानपुरा जिला भीलवाडा

1/5 :— श्रीमती गोपालकंवर पुत्री जोध सिंह राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 जालमपुरा तह0 बेगूं

1/6 :— श्रीमती श्रीकंवर पुत्री जोध सिंह राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 पत्नी विक्रम सिंह राजपूत निवासी खोलपुरा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

1/7 :— श्रीमती दुधाकंवर पुत्री जोध सिंह राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 पत्नी गजराजसिंह राजपूत नि0 धुरेला तह0 मांडलगढ जिला भीलवाडा

2:— श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ

3:— राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौडगढ

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 17—10—2024

निर्णय वाद अ0धा0 53—88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53—88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि—

यह कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात मौजा खेडीया प0ह0 ईटावा तह0 बेगूँ में स्थित है, जिसके खाता सं0 23 होकर आराजी नं0 388 रकबा 0.020 है0, आराजी नं0 394 रकबा 0.030 हे0, चाही 2 चा.नं. 393, आराजी नं0 398 रकबा 0.060 है0, आराजी नं0 399 रकबा 0.4900 है0 चा.नं. 393 आ0नं0 400 रकबा 0.1800 है0, आ0नं0 411 रकबा 1.3600 है0, आ0नं0 414 रकबा 0.6300 है0, आ0नं0 423 रकबा 0.5200 है0 आ0नं0 424 रकबा 0.6700 है0, आ0नं0 425 रकबा 0.0600 है0, आ0नं0 426 रकबा 0.0300 है0, आ.चा., आ0नं0 427 रकबा 0.0300 है0 चा.नं. 426 आ0नं0 428 रकबा 0.180 है0, आ0नं0 451 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.6500 है0 है जिसमें वादी का हक हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हक हिस्सा है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 मौके पर बाहमी तौर पर बंटवाडा कर अपने—अपने 1/2 — 1/2 हक हिस्से पर काबिज हो कर बिना किसी बाधा के बेरोक—टोक निरन्तर काश्त कर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 अपने—अपने हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन ...ा संबंधी व मेरपाली, रास्ते व भूमि की किस्म को लेकर विवाद होता रहता है, वादी द्वारा ...तिवादी सं0 1 को तह0 में चल कर बंटवाडा करने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया इसलिए उक्त भूमि का हक हिस्से अनुसार वादी 1/2 हक हिस्से की घोषणा करा बाद घोषणा उसके हक हिस्से का बंटवाडा करा अपना खाता अलग कराने का अधिकारी है।

यह कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य उक्त विवादित आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 के 1/2 – 1/2 हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार घोषणा कर बाद घोषणा बंटवाडा किया जाना न्यायोचित होगा।

यह कि वाद कारण दिनांक 02.11.2019 को प्रतिवादी को तह0 में चल कर बंटवाडा कराने को कहा लेकिन मना करने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वाद वर्णित विवादित आराजीयात तह0 बेगूं में स्थित होने व पक्षकार भी तह0 बेगूं के स्थाई निवासी होने के कारण वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

क : यह कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित विवादित आराजीयात जिसके खाता सं0 23 है में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 – 1/2 हक हिस्से की घोषणा की जावे।

ख : यह कि खाता सं0 23 की वाद वर्णित विवादित आराजीयात का बाद घोषणा मौके पर कब्जे अनुसार 1/2 – 1/2 हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाकर खाता अलग–अलग दर्ज किया जावे।

ग : कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादी हो

वाद अ0धा0 88–53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये तदोपरान्त वादी की एकतरफा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी मूलसिंह पिता श्रवणसिंह गवाह मूलसिंह पिता श्रवणसिंह गवाह महावीर सिंह पिता बख्तावर सिंह के बयान लिये जाकर मुख्य परीक्षण मूलसिंह पिता श्रवणसिंह एवं गवाह महावीर सिंह पिता बख्तावर सिंह द्वारा किया जाकर वादी वादी मूलसिंह द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। वादीगण की ओर से बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य पूर्ण करायी गयी। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्तागण की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। जिन्होंने वादपत्र अनुसार अपनी बहस निवेदन की। वादी की एकतरफा बहस सुनी जाने के बाद हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाना हम उचित समझते है। इसी अनुसार विभाजन कराया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादीगण का अंतर्गत धारा 53–88 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा खेडीया प0ह0 ईटावा तह0 बेगूँ खाता सं0 23 होकर आराजी नं0 388 रकबा 0.020 है0, आराजी नं0 394 रकवा 0.030 हे0, चाही 2 चा.नं. 393, आराजी नं0 398 रकबा 0.060 है0, आराजी नं0 399 रकवा 0.4900 है0 चा.नं. 393 आ0नं0 400 रकबा 0.1800 है0, आ0नं0 411 रकबा 1.3600 है0, आ0नं0 414 रकवा 0.6300 है0, आ0नं0 423 रकबा 0.5200 है0 आ0नं0 424 रकबा 0.6700 है0, आ0नं0 425 रकवा 0.0600 है0, आ0नं0 426 रकबा 0.0300 है0, आ.चा., आ0नं0 427 रकबा 0.0300 है0 चा.नं. 426 आ0नं0 428 रकबा 0.180 है0, आ0नं0 451 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.6500 है0 है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 घोपित किया जाता है। इसी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे

..नुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा दो प्रति में इस न्यायालय में पेश करे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक 3040 दिनांक 28.08.2024 ..स फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा खेडीया प.ह. ईटावा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— श्री मूलसिंह पुत्र श्रवणसिंह हि. 1/2 राजपूत सा. देह रहन बदस्तूर जमाबदी

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर
394	सम्पूर्ण	0.030
398 मेसे	(पश्चिमी दिया मुताबिक ट्रेस)	0.030
399 मेसे	(पश्चिमी दिया)	0.245
411 मेसे	(पश्चिमी दिया मुताबिक ट्रेस)	0.380
411 मेसे	(उत्तरी दिया मुताबिक ट्रेस)	0.270
414 मेसे	(उत्तरी दिया मुताबिक ट्रेस)	0.330
423 मेसे	(दक्षिणी दिया)	0.495
424 मेसे	(पश्चिमी दिया)	0.260
428 मेसे	(पूर्वी दिया)	0.169
451 मेसे	(पूर्वी दिया)	0.025
कीता— 10		2.234 हैक्टर

2— गोपालकवंर, धनश्यामसिंह, दूधकंवर, पप्पूसिह, भंवरकंवर, शंकरसिह, श्रीकंवर, पिता जोधसिह हि. 1/2 राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबदी

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर
388	सम्पूर्ण	0.020
398 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.030
399 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.245
400	सम्पूर्ण	0.180
411 मेसे	(पूर्वी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.430
411 मेसे	(दक्षिणी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.280
414 मेसे	(दक्षिणी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.300
419 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	0.149
420 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	0.182
424 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.410
451 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	
कीता— 11		2.231 हैक्टर

wf

...लसिंह पुत्र श्रवणसिंह हि. 1/2 गोपालकवंर, धनश्यामसिंह, दूधकंवर, पप्पूसिह, भंवरकंवर, ...रसिह, श्रीकंवर, पिता जोधसिह हि. 1/2 राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबदी

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर	किस्म
419 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.011	रास्ता हेतू
420 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.018	रास्ता
423 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.025	रास्ता
425	सम्पूर्ण	0.060	बाडा
426	सम्पूर्ण	0.030	आ.चा.
427	सम्पूर्ण	0.030	(चाही.3(0.02)) (जा.। .3(0.01))
428 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	0.011	नहरी
कीता– 07		0.185 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)

दावा सं0 : 43/20

1— मूलसिंह पिता श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

...... वादी

— बनाम —

1— जोधसिंह पिता श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/1 :— शंकरसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/2 :— घनश्याम पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/3 :— विजयसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया तह0 बेगूं

1/4 :— श्रीमती रतनकंवर पुत्री जोधसिंह जाति राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 पत्नी ज्वालासिंह राजपूत निवासी मानपुरा जिला भीलवाडा

1/5 :— श्रीमती गोपालकंवर पुत्री जोध सिंह राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 जालमपुरा तह0 बेगूं

1/6 :— श्रीमती श्रीकंवर पुत्री जोध सिंह राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 पत्नी विक्रम सिंह राजपूत निवासी खोलपुरा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

1/7 :— श्रीमती दुर्गाकंवर पुत्री जोध सिंह राजपूत निवासी खेडीया हा0मु0 पत्नी गजराजसिंह राजपूत नि0 धुंरला तह0 मांडलगढ जिला भीलवाडा

2— श्रीमान मुन्सिफ़ी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ

3— राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौडगढ

......प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 17.10.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा खेडीया प.ह. ईटावा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— श्री मूलसिंह पुत्र श्रवणसिंह हि. 1/2 राजपूत सा. देह रहन बदस्तूर जमाबदी

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर
394	सम्पूर्ण	0.030
398 मेंसे	(पश्चिमी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.030
399 मेंसे	(पश्चिमी दिशा)	0.245
411 मेंसे	(पश्चिमी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.380
411 मेंसे	(उत्तरी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.270
414 मेंसे	(उत्तरी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.330
423 मेंसे	(दक्षिणी दिशा)	0.495
424 मेंसे	(पश्चिमी दिशा)	0.260
428 मेंसे	(पूर्वी दिशा)	0.169
451 मेंसे	(पूर्वी दिशा)	0.025
कीता— 10		2.234 हैक्टर

Mf

गोपालकवंर, धनश्यामसिंह, दूधकंवर, पप्पूसिह, भंवरकंवर, शंकरसिह, श्रीकंवर, पिता जोघसिह हि. 2 राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबदी

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर
388	सम्पूर्ण	0.020
398 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.030
399 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.245
400	सम्पूर्ण	0.180
411 मेसे	(पूर्वी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.430
411 मेसे	(दक्षिणी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.280
414 मेसे	(दक्षिणी दिशा मुताबिक ट्रेस)	0.300
419 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	0.149
420 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	0.182
424 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.410
451 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	
कीता– 11		2.231 हैक्टर

3– मूलसिंह पुत्र श्रवणसिंह हि. 1/2 गोपालकवंर, धनश्यामसिंह, दूधकंवर, पप्पूसिह, भंवरकंवर, शंकरसिह, श्रीकंवर, पिता जोघसिह हि. 1/2 राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबदी

आराजी संख्या		रकबा हैक्टर	किस्म
419 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.011	रास्ता हेतू
420 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.018	रास्ता
423 मेसे	(पूर्वी दिशा)	0.025	रास्ता
425	सम्पूर्ण	0.060	बाडा
426	सम्पूर्ण	0.030	आ.चा.
427	सम्पूर्ण	0.030	(चाही.3(0.02)) (जा।. 3(0.01))
428 मेसे	(पश्चिमी दिशा)	0.011	नहरी
कीता– 07		0.185 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/516 दिनांक :– 23.10.24

दावा संख्या 43/2020 व अनवान मूलसिंह बनाम जोधसिह व अन्य अ.धा. 53–88 आर.टी. एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ